न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 59 / 2018 आदेश दिनांक 25.11.2019

बनवारीलाल 2. हरचन्द 3 भादरराम पुत्रगण मामराज बिश्नोई निवासीगण सांवतसर तहसील श्रीडूॅगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीडूॅगरगढ

उपस्थित–

श्री नारायण पंवार अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।

पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

यह प्रार्थना पत्र बनवारीलाल ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 आपस में सगे भाई है तथा ग्राम सांवतसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर के मूल निवासीगण है । प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1146 / 1082 तादादी 0.13 हैक्टयर वाकेरोही सांवतसर,प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी के खेत खसरी नम्बर 1083 / 500 तादादी 0.16 हैक्टयर व ख्सरा नम्बर 1149 / 1084 तादादी 0.09 हैक्टयर वाकेरोही सांवतसर व प्रार्थी संख्या 3 की खतेदारी खेत खसरा नम्बर 1150 / 1084 तादादी 0.06 हैक्टयर , खसरा नम्बर 1085 / 500 तादादी 0.15 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1145 / 1082 तादादी 0.04 हैक्टयर वाके रोही सवंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ पटवार हल्का सांवतसर तहसील श्री डूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खसरान कि भूमि पहले एकल रही है ,जो बाद विभाजन उपरोक्त प्रकार के खसरान के रूप में विभाजित हो गई है । प्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरान भूमि का आपस में विभाजन करा लेने पर खातेदारी तो सही रूप से दर्ज हो गई ,,परन्तु मूल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स से जो बाद विभाजन सीमा भू– प्रबन्ध दर्शाई है ,वो मोके कि स्थिति के अनुसार सही है ।मोका पर काबिजानुसार सही स्थिति यह है कि मुल खसरा नम्बर 500 में दक्षिणी(बादनू कुचोर रोड़ कि तरफ) 0.13 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी सं.1 बनवारी काबिज है तथा खेत कि मध्य कि 0.25 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी सं.3 भादरराम काबिज है तथा शेष उतरी तरफ की 0.25 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी सं.2 हरचन्द काबिज है , इस प्रकार प्रार्थी सं.1 बनवारीलाल के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1146 / 1082 तादादी 0.13 हैक्टयर कि भूमि मूल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स में दक्षिणी तरफ तरमीम होनी चाहिए थी, इसी प्रकार प्रार्थी सं.3 भादरराम के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1150 / 1084, 1085 / 500, 1145 / 1082 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर की भूमि मुल खसरा नम्बर 500 के नक्षा एक्स में मध्य में तरमीम हानी चाहिऐ थी। व प्रार्थी सं.2 हरचन्द के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1149 / 1084 व 1083 / 500 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर कि भूमि मूल खसरा 500 के नक्शा एक्स में उतरी तरफ तरमीम हानी चाहिये थी। राजस्व एक्स की प्रमाणित प्रतिलिपी सलंग्न प्रार्थना पत्र है तथा मोके कि सही व वास्तविकता के अनुसार अलग से नजरी नक्शा बनाया गया है,जो सलंग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त अनुसार व नजरीय नक्शा अनुसार राजस्व एक्स में प्रार्थीगण के नाम तरमीम हानी चाहिये थे,परन्तु राजस्व कर्मचारीयो ने बिना मौके के स्थिति का अवलोकन किये ही नक्शा एक्स को तरमीम कर दिया गया, जो मौके स्थिति के अनुसार सही नहीं है । प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

का किसान कडिट कार्ड बनाने के लिये दिनांक 17/05/2018 को राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व एक्स की नकले निकलवायी तब प्रार्थीगण को पता चला कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1146/1082 तादादी 0.13 हैक्टयर,खसरा नम्बर1083/500 तादादी 0.16 हैक्टयर, ख्सरा नम्बर 1149/1084 तादादी 0.09 हैक्टयर व खेत खसरा नम्बर 1150/1084 तादादी 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1085/500 तादादी 0.15 हैक्टयर खसरा नम्बर 1145/1082 तादादी 0.04 हैक्टयर वाकेरोही सावंतसर कि सीमा नक्शा एक्स में गलत रूप सें तरमीम कर रखे है, सही व वास्तविक सीमा हेतू संलग्न बनाये गये नजरी नक्शा में लाल स्याही से सीमा खींची गई है , जो मौका की वास्तविक स्थिति के अनुसार है । संलग्न नक्शा में लाल स्याही से बनायी गई रेखाओ के अनुसार प्रार्थीगण खेतो कि सीमा तरमीम करने से किसी भी पक्ष पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा व उपरोक्त खसरान कि भूमि भी रिकॉर्ड के अनुसार ही रहेगी । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से राजस्व नक्शा एक्स में संलग्न बनाये गये नजरी नक्शा सहमति से संशोधन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं कि व शुद्धिकरण करवाने से इनकार कर दिया , जिस पर हम प्रार्थीगण ने फिर उक्म नक्शा एक्स दुरूस्ती बाबत दिनांक 21/05/2018 को कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवो, बिना आदेष के राजस्व नक्शा एक्स में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया । प्रार्थीगण वादगत खेत खसरा नम्बर 1146/1082 तादादी 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083/500 तादादी 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149/1084 तादादी 0.09 हैक्टयर व खेत खसरा नम्बर 1150/1084 तादादी 0.06 हैक्टयर , खसरा नम्बर 1085/500 तादादी 0.15 हैक्टयर , खसरा नम्बर 1145/1082 तादादी 0.04 हैक्टयर वाके रोही सांवतसर तहसील श्री डूंगरगढ़ के रिकॉर्डड खातेदार काबिज कृषक है । प्रार्थीगण के खेत खसरान खसरा नम्बर 1146/1082 तादादी 0.13 हैक्टयर,खसरा नम्बर 1083/500 तादादी 0.16 हैक्टयर खसरा नम्बर 1149/1084 तादादी 0.09 हैक्टयर व खेत खसरा नम्बर 1050/1084 तादादी 0.06 हैक्टयर , खसरा नम्बर 1085/500 तादादी 0.15 हैक्टयर ,खसरा नम्बर 1145/1082 तादादी 0.04 हैक्टयर वाके रोही सांवतसर की राजस्व एक्स में सही सीमा को दर्शित नही किया गया है । जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है । जिसकी पूर्ति हजाने से सम्भव नहीं है । प्रार्थीगण उक्त राजस्व नक्शा एक्स में शुद्धिकरण करवाने के अधिकारी है । राजस्व नक्शा एक्स में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी सं.1 के हितो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः प्रार्थना पत्र पस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मोके पर काबिजानुसार एवं सही स्थिति के अनुसार मूल खसरा नम्बर 500 में दक्षिणी (बादनू कुचोर रोड़ कि तरफ) 0.13 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 बनवारी काबिज हे तथा इस खेत कि मध्य कि 0.25 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी संख्या 3 भादरराम काबिज है तथा शेष उतरी तरफ की 0.25 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 हरचन्द काबिज है , इस प्रकार प्रार्थी सं.1 बनवारीलाल के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1146/1082 तादादी 0.13 हैक्टयर की भूमि मूल खसरा नम्बर 500 वाके रोही सांवतसर के नक्शा एक्स में दक्षिणी तरफ तरमीम किये जाने व प्रार्थी सं.3 भादरराम के नाम इर्ज खसरा नम्बर 1150/1084 ,1085/500, 1145/1082 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर कि भूमि मुल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स मे मध्य में तरमीम किये जाने एवं प्रार्थी सं.2 हरचन्द के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1149/1084 व 1083/500 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर की भूमि मुल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स में उतरी तरफ तरमीम किये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

जाने का आदेष अप्रार्थी को दिया जावे यानि नक्शा एक्स को (संलग्न बनाये गये नजरी नक्शा के अनुसार) दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवायी जावे । श्रीमान्‌जी कि अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी के तरफ से जबाब पेश हुआ कि मुताबिक मौका एवं कब्जा काश्त के अनुसार रोही ग्राम सांवतसर के मूल खसरा नम्बर 500 तादादी 0.63 हैक्टयर में मुताबिक नक्शा मौका उतरी तरफ हरचन्द पुत्र मामराज, मध्य में भादरराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर का दक्षिणी तरफ (सांवतसर बादनू सडक) से उतरी तरफ बनवारीलाल पुत्र मामराज जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर का मौका अनुसार कब्जा है । इसलिये वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दुरूस्ती योग्य है । वर्तमान मौका नजरी नक्शा मूल खसरा नम्बर 500 संलग्न है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । पैरोकार राज को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

बनवारीलाल के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1146/1082 तादादी 0.13 हैक्टयर की भूमि मूल खसरा नम्बर 500 वाके रोही सांवतसर के नक्शा एक्स में दक्षिणी तरफ तरमीम किये जाने व प्रार्थी सं.3 भादरराम के नाम इर्ज खसरा नम्बर 1150/1084 ,1085/500, 1145/1082 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर कि भूमि मुल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स मे मध्य में तरमीम किये जाने एवं प्रार्थी सं.2 हरचन्द के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1149/1084 व 1083/500 कुल तादादी 0.25 हैक्टयर की भूमि मुल खसरा नम्बर 500 के नक्शा एक्स में उतरी तरफ तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में शुद्धि करें ।

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 14:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: